अध्याय 6

ई-अपशिष्ट का प्रबंधन

लेखापरीक्षा उद्देश्य - 5

क्या रेलवे संस्थानों में उत्पन्न ई-अपशिष्ट का मूल्यांकन, प्रबंधन और निपटान लागू नियमों के अनुसार किया गया है

भारतीय रेल यात्री आरक्षण केंद्रों, ईडीपी केंद्रों, अनारक्षित टिकेटिंग प्रणालियों, कार्यालयों में संबंधित आईटी संवरचना के कम्प्यूटीकरण एवं सिग्नलिंग और दूर संचार सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यापक आईटी अवसंरचना के कारण ई-अपशिष्ट के प्रमुख उत्पादक में से एक है। उनुपयोगी घोषित किए मदों में कंप्यूटर, ई मॉनिटर, टीवी सेट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सर्वर आदि को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई-अपशिष्ट कहा जाता है। अतः यह अत्यावश्यक है कि ई-अपशिष्ट की इस तरीके से पहचान, पृथक, भण्डारण और निपटान किया जाए जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक न हो और पर्यावरण के अनुरूप हो।

केंद्र सरकार ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 में अधिसूचित किया था, जिसने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2011 का स्थान ले लिया था। इन नियमों का उद्देश्य ई-अपशिष्ट से उपयोगी सामग्री की रिकवरी और/या पुनः उपयोग को सक्षम करना है, जिससे निपटान के लिए नियत खतरनाक अपशिष्ट कम हो और विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सभी प्रकार के अपशिष्टों का पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

चयनित 86 इकाइयों (ईडीपी/पीआरएस/यूटीएस/जीएसडी) में अभिलेखों की संवीक्षा से कई कमियों का पता चला है, जैसे स्वीकार्य सीमा से अधिक ई-अपशिष्ट का भंडारण, एसपीसीबी को निर्धारित सूचना न देना और इन पर अगले पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

6.1 ई-अपशिष्ट के संचालन के लिए समेकित निर्देशों और प्रशिक्षण की अनुपस्थिति

ई-अपशिष्ट से संबंधित नियम अक्टूबर 2016 में जारी किए गए थे। ई-अपशिष्ट नियमों में, ई-अपशिष्ट के संचालन और भंडारण की विशिष्ट प्रक्रिया है लेकिन अन्य कार्यालय मदों जैसे फर्नीचर आदि के लिए निर्धारित निराकरण प्रक्रिया का ई-अपशिष्ट के संबंध में पालन किया जा रहा था। इसके अलावा, किसी भी जोन में ई-अपशिष्ट

के प्रभावी भंडारण और निपटान के लिए जागरूकता को प्रभावित करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार/कार्यान्वित नहीं किया गया था। इसलिए रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों और प्रशिक्षण के अभाव में, ई-अपशिष्ट के भंडारण और निपटान की व्यवस्था कमजोर और अपर्याप्त थी।

6.2 एसपीसीबी को निर्धारित प्रपत्र 3 प्रस्तुत करना

एसपीसीबी ने यह निर्धारित किया था कि प्रति वर्ष उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट की मात्रा को मीट्रिक टन (एमटी) में रिकॉर्ड किया जाए और आवश्यक जानकारी को प्रपत्र 2 में भरकर एसपीसीबी को प्रस्तुत किया जाए। प्रपत्र 2 के रिकॉर्ड के अनुसार उत्पन्न, पुनर्चक्रित और वर्ष के दौरान भंजक को बेचे गए ई-अपशिष्ट की मात्रा के डेटा निर्धारित फॉर्म 3 में एसपीसीबी को भेजना आवश्यक था। एसपीसीबी के निर्देशों पर अनुपालन की स्थिति की लेखापरीक्षा में जांच की गई और निष्कर्ष **तालिका 6.1** में निम्नानुसार दर्शाए गए हैंः-

तालिका 6.1-एससीबी के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति

विवरण	**एसपीसीबी के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति**		
	ईडीपी केंद्र	**पीआरएस/ यूटीएस केंद्र**	**स्क्रैप डिपों (जीएसटी)**
विशिष्ट केंद्रों पर उत्पन्न ई-अपशिष्ट के संबंध में श्रेणी-वार जानकारी ई-अपशिष्ट नियमों में विनिर्दिष्ट निर्धारित **प्रपत्र-2** में रिकॉर्ड नहीं की जा रही थी।	46 (53)	16 (16)	16 (17)
एसपीसीबी को निर्धारित **प्रपत्र-3** में भरकर भेजा जाने वाले उत्पन्न, पुनर्चक्रित और वर्ष के दौरान भंजक को बेचे गए ई-अपशिष्ट की मात्रा का समेकित डाटा।	चूंकि विवरण फॉर्म 2 में दर्ज नहीं किए गए थे, इसलिए फॉर्म 3 की जानकारी का आकलन नहीं किया जा सका।		

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े जांच की गई कुल इकाइयों को दर्शाते हैं।

निर्धारित प्रपत्र 2 और 3 में दी गई सूचना ई अपशिष्ट की उत्पन्न और निपटान गई मात्रा की मॉनिटरिंग के लिए थी। इसके लिए प्रपत्र 2 तथा प्रपत्र 3 में रिकार्ड की जाने वाली आवश्यक सूचना के अभाव में, न ही उत्पन्न ई-अपशिष्ट की मात्रा का

निर्धारण किया जा सका और न ही उस पर मॉनिटरिंग की जा सकी। **(अनुलग्नक 6.1 और 6.2)**

6.3 स्वीकार्य सीमा से अधिक ई-अपशिष्ट का भंडारण

ई-अपशिष्ट नियमों में 180 दिन की अवधि का भंडारण निर्धारित किया गया है और 180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए एसपीसीबी के अनुमोदन की आवश्यकता होती है (अधिकतम 365 दिन)। अभिलेखों[66] की संवीक्षा से पता चला कि काफी मात्रा में ई-अपशिष्ट का 180 दिनों से अधिक समय से निपटान नहीं हुआ था, जैसा कि नीचे बताया गया है:-

1. 12 जोन में ई-अपशिष्ट अनुमत 180 दिनों से अधिक संचयित किया गया था और उपलब्ध अभिलेखों से यह संकेत नहीं मिलता कि 180 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद भंडारण के लिए एसपीसीबी की स्वीकृति की मांग की गई थी।
2. 2015 से 2020 की अवधि के दौरान अनुमति लिए बिना 180 दिनों की अवधि से अधिक संचय किए गए ई-अपशिष्ट की मात्रा 0.034 मीट्रिक टन से 30.5 मीट्रिक टन के बीच थी।

6.4 निष्कर्ष

भारतीय रेल नियमों के अनुपालन में ई-अपशिष्ट से निपटने की प्रणाली में पीछे था। इस संबंध में ई-अपशिष्ट के संचालन के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए कोई विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। अभिलेखों के रख-रखाव, एसपीसीबीएस को शर्तों के फार्म प्रस्तुत करने तथा 180 से अधिक समय में अपशिष्ट भंडारण के लिए एसपीसीबी के अनुमोदन की मांग करने के बारे में ई-अपशिष्ट नियमों के महत्पूर्ण पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार

रेलवे बोर्ड ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुरूप ई-अपशिष्ट से निपटने के लिए अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के उपाय शुरू नहीं किए।

[66] *स्क्रैप डिपो और डिवीजनल स्टोर पर रखे गए निराकरण रिपोर्ट, बिक्री और नीलामी रजिस्टर*

6.5 सिफारिश

भारतीय रेल को ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र तैयार करने के अलावा ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने के लिए उपाय शुरू करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली
दिनांक: 29 जून 2022

(सुनील दाढ़े)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 01 जुलाई 2022

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक